

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/n-2013-00630/2024/33

दिनांक:- 23/01/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-20(90)वित्त/ग्रप-2/89-111 दिनांक 14.03.1991 एवं एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1.	स्व. श्री निर्मलकान्त नर्सिंग अधिकारी	नागौर	14.02.1984 नर्स-2	14.02.1992 09 वर्ष	1400-2600	1640-60-2900

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/n-2013-00630/2024/33

दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर राजस्थान।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय उप जिला चिकित्सालय, परवतसर नागौर को निर्देशित किया जाता है कि इतले विलम्ब से प्रस्ताव क्यों प्रेषित किये गये के संबंध में उत्तदायित्व निर्धारित कर सूचना कर्मचारी/अधिकारी का नाम भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही कार्गिक की मूल सेवापुतिका संलग्नक कर भिजवाई जा रही है, कार्गिक के पेंशन केस का निस्तारण करवाने संबंधित कार्यवाही कर निदेशालय को सूचित करे।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5367643

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@grnraj.com>

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :20-01-2024 09:28:59